# Date - 28 April 2022

# 91वां संविधान संशोधन

- भाजपा सरकार ने गोवा विधानसभा में विधायक के रूप में 50 वर्ष पूरे करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतापसिंह राणे को आजीवन "कैबिनेट मंत्री" का दर्जा देकर सम्मानित किया है।
- 'प्रतापसिंह राणे' छह बार गोवा के मुख्यमंत्री और 50 साल तक विधायक रहे हैं।
- बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि गोवा के छह बार के मुख्यमंत्री और 50 साल के विधायक प्रताप सिंह राणे के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) में, उनकी "कैबिनेट मंत्री के कार्यालय की आजीवन स्थिति" एक बहस का मुद्दा है चुनौती के संबंध में उठाया गया है।
- जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि गोवा में 12 सदस्यीय कैबिनेट है और राणे को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने से कैबिनेट सदस्यों की संख्या बढ़कर 13 हो जाती है, जो संविधान द्वारा निर्धारित अनिवार्य सीमा से अधिक है।
- यह सीमा भारत के संविधान में 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा निर्धारित की गई थी।

## 91वां संविधान संशोधन:

- खंड 1ए को संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के अनुच्छेद 164 में शामिल किया गया था, जिसके अनुसार "किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कुल मंत्रियों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इसमें यह भी प्रावधान था कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी|
- इसी तरह के संशोधन अनुच्छेद 75 के तहत भी किए गए थे।
- इसके अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
- मंत्रिपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 91वें संशोधन का उद्देश्य बड़े मंत्रिमंडल और इसके परिणामस्वरूप राजकोष पर आर्थिक बोझ पर अंकुश लगाना था।

## मंत्री परिषद्:

Yojna IAS

- संविधान का अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद की स्थिति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारियों, योग्यता, शपथ और वेतन और भत्ते से संबंधित है।
- मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियां होती हैं, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन सभी मंत्रियों में प्रधानमंत्री का पद सबसे ऊंचा होता है।
- कैबिनेट मंत्री: ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामलों आदि के प्रमुख होते हैं।
- कैबिनेट केंद्र सरकार की नीति बनाने वाली मुख्य संस्था है।
- राज्य मंत्री: उन्हें या तो मंत्रालयों/विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या कैबिनेट मंत्रियों के पास रखा जा सकता है।
- उप मंत्री: ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं और उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता करते हैं।

## जनहित याचिका:

- जनहित याचिका (PIL) का अर्थ है "जनहित" की रक्षा के लिए अदालत में दायर मुकदमे, जैसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि।
- कोई भी मामला जो बड़े पैमाने पर जनता के हित को प्रभावित करता है, उसे न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर करके निपटाया जा सकता है।
- जनहित याचिका को किसी क़ानून या किसी अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। इसे न्यायाधीशों ने बड़े पैमाने पर जनता के हित में होने के रूप में व्याख्यायित किया है।
- जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है।
- हालांकि, याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह साबित करना होगा कि याचिका जनहित में दायर की जा रही है न कि किसी निकाय द्वारा केवल मुकदमेबाजी के रूप में।
- न्यायालय मामले का स्वत: संज्ञान ले सकता है या किसी सार्वजनिक रूप से जागरूक व्यक्ति की याचिका पर मामला शुरू किया जा सकता है।

## जनहित याचिका के तहत विचार किए गए कुछ मामले हैं:

- बंधुआ मजदूरी से संबंधित मुद्दे
- उपेक्षित बच्चे
- श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना और अनौपचारिक श्रमिकों का शोषण
- महिलाओं पर अत्याचार
- पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिक संतुलन की गड़बड़ी
- खाद्य अपमिश्रण
- विरासत और संस्कृति का रखरखाव

- जनहित याचिका आंदोलन के युग की शुरुआत न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती मामले में एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981।
- इस मामले में यह माना गया था कि सार्वजनिक या सामाजिक कार्रवाई समूह का कोई भी सदस्य जो वास्तव में कार्य करता है, उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226 के तहत) या सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान कर सकता है।

Yojna IAS

- जनहित याचिका के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति उन व्यक्तियों के कानूनी या संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ निवारण की मांग कर सकता है जो सामाजिक या आर्थिक या किसी अन्य अयोग्यता के कारण अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं।

# विश्व टीकाकरण सप्ताह **2022**

- विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का आयोजन 24-30 अप्रैल तक किया जा रहा है।
- विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय 'सभी के लिए लंबा जीवन' है और इसका उद्देश्य लोगों को इस विचार से जोड़ना है कि टीके हमारे सपनों को पूरा करना, अपने प्रियजनों की रक्षा करना और एक लंबा, स्वस्थ जीवन जीना संभव बनाते हैं।

## विश्व टीकाकरण सप्ताह:

- विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा समन्वित एक स्वास्थ्य अभियान है जो प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य सभी उम्र के लोगों को बीमारी से बचाने के लिए टीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
- टीकाकरण एक वैश्विक स्वास्थ्य और विकास की सफलता का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे हर साल लाखों लोगों की जान बचती है।
- विश्व में अभी भी लगभग 20 मिलियन अशिक्षित और कम टीकाकरण वाले बच्चे हैं।

## टीकाकरण पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण:

- 200 से अधिक वर्षों से, टीकों ने हमें उन बीमारियों से बचाया है जो जीवन को खतरे में डालती हैं और हमारे विकास को रोकती हैं।
- दो शताब्दियों से भी अधिक समय से, टीकों ने लोगों को स्वस्थ रखने में मदद की है – चेचक से बचाव के लिए विकसित किए गए पहले टीकों से लेकर COVID-19 के गंभीर मामलों को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाले नवीनतम टीकों तक।
- टीकों की मदद से हम चेचक और पोलियो जैसी बीमारियों के बोझ के बिना प्रगति कर सकते हैं, जिसकी कीमत लाखों लोगों को चुकानी पड़ती है।

## वैक्सीन पद्धति:

- टीके प्रतिरक्षा प्रणाली को उसी तरह एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं जैसे किसी वास्तविक बीमारी के संपर्क में आने पर प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य करती है।
- ऐसा इसलिए है क्योंकि टीकों में रोगाणुओं के केवल मृत या कमजोर रूप होते हैं, जो न तो बीमारी का कारण बनते हैं और न ही किसी व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालते हैं।
- जन्म से लेकर शैशवावस्था तक अलग-अलग उम्र में टीके लगाए जाते हैं और इस रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए टीकाकरण कार्ड दिया जाता है।
- यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ये सभी टीके अप टू डेट हैं।

Yojna IAS

- बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए बच्चों को संयोजन में (जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए) सुरक्षित रूप से टीका लगाया जा सकता है।
- टीके के कुछ मामूली दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे हल्का बुखार, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द या लालिमा, जो कुछ ही दिनों में अपने आप दूर हो जाते हैं।
- गंभीर या लंबे समय तक चलने वाले दुष्प्रभाव अत्यंत दुर्लभ हैं।
- हल्की बीमारी के दौरान टीके सुरक्षित रूप से दिए जा सकते हैं, लेकिन मध्यम या गंभीर बीमारी वाले बच्चों को बुखार या बिना बुखार के खुराक लेने के लिए ठीक होने तक इंतजार करना पड़ सकता है।

### भारत में हाल ही में टीकाकरण की पहल:

- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम
- गहन मिशन इंद्रधनुष (आईएमआई) 0 योजना
- पल्स पोलियो कार्यक्रम

# 'किसान भागीदारी प्रथमिकता हमारी अभियान'

- भारत का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जनभागीदारी आंदोलन के रूप में 'किसान भागीदारी प्राथमिका हमारी अभियान' के तहत 'फसल बीमा पाठशाला' का आयोजन करेगा।

### किसान भागीदारी प्रथमिकता हमारी अभियान:

- इस अभियान के तहत सभी बीमा कंपनियां कम से कम 100 किसानों की भागीदारी के साथ अभियान अवधि के सभी 7 दिनों के लिए ब्लॉक/ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)-'फसल बीमा पाठशाला' का आयोजन करेंगी।
- इस अभियान में स्थानीय आपदाओं के दौरान फसल नुकसान की जानकारी और फसल के बाद के नुकसान और किसानों के आवेदनों की निगरानी के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी, जिससे किसान शिकायत निवारण आदि के लिए संपर्क कर सकते हैं और योजना का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को प्राप्त करने के लिए विस्तार से समझाया जाएगा।

### उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य किसानों को PMFBY योजना के प्रमुख पहलुओं जैसे कि योजना का प्रावधान, फसलों का निर्धारण और योजना का लाभ कैसे प्राप्त करना है आदि से अवगत कराना है। इसमें PMFBY योजना के लाभ प्रदान करना भी शामिल है।

Yojna IAS

- PMFBY/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के महत्व और किसान इस योजना के तहत नामांकन करके योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

## प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:

- इसे वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है।
- इसने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) का स्थान ले लिया है।

## उद्देश्य:

- फसल खराब होने की स्थिति में व्यापक बीमा कवर प्रदान करना ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके।

## क्षेत्र / दायरा:

- सभी खाद्य और तिलहन फसलें और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें जिनके लिए पिछली उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं।

## अधिमूल्य:

- इस योजना के तहत किसानों द्वारा भुगतान किया गया निश्चित बीमा प्रीमियम/प्रीमियम सभी खरीफ फसलों के लिए 2% और सभी रबी फसलों के लिए 5% है। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में वार्षिक प्रीमियम 5% है।
- किसानों के हिस्से की प्रीमियम लागत को सब्सिडी के रूप में राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है।
- हालांकि, इस योजना के तहत बीमा प्रीमियम सब्सिडी का 90% पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

## कार्यान्वयन:

- यह पैनल में शामिल साधारण बीमा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा बोली के माध्यम से किया जाता है।

## संशोधित पीएमएफबीवाई:

- संशोधित पीएमएफबीवाई को अक्सर पीएमएफबीवाई 0 के रूप में जाना जाता है, इसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

Yojna IAS

- पूरी तरह से स्वैच्छिक: यह वर्ष 2020 के खरीफ मौसम से सभी किसानों के लिए वैकल्पिक है।
- पहले यह योजना अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) खाते का लाभ उठाने वाले ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी।
- केंद्रीय सब्सिडी की सीमा: कैबिनेट ने इस योजना के तहत असिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिए प्रीमियम दरों को 30% और सिंचित क्षेत्रों/फसलों के लिए 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि इन प्रीमियम दरों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत सब्सिडी वहन की जाती है।
- राज्यों को अधिक लचीलापन: सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को PMFBY को लागू करने के लिए लचीलापन दिया है और उन्हें किसी भी संख्या में अतिरिक्त जोखिम कवर/सुविधाओं को चुनने का विकल्प दिया है।
- सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों में निवेश: बीमा कंपनियों को अब सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों पर एकत्रित कुल प्रीमियम का 5% खर्च करना होगा।

**Swadeep Kumar**

Yojna IAS